सं0-11/2016/248/62-2-2016-2/3(93)/2010

सेवा में,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनउ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 29 जनवरी,2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुढ़ढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-8958/62-2-2015-2/3(93)/2010, दिनांक 08.01.2016 के क्रम में अपने पत्र सं0-जी-302/ल0सिं0/बजट-ते0वि0आ0/2010-11, दिनांक 25.01.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन 13वें वित्त आयोग के क्रियान्वयन की योजना (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुढ़ढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार) (राज्य योजना) में प्राविधानित धनराशि `&5000.00 लाख के सापेक्ष जनपद झॉसी, जालौन, ललितपुर, बॉदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट के अधूरे निर्माण कार्यो को पूर्ण किये जाने एवं पूर्ण कार्यो के लम्बित भुगतान/देयता हेतु अपेक्षित धनराशि `&3117.68 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि `&1558.84 लाख शासनादेश सं0-8958/62-2-2015-2/3(93)/2010, दिनांक 08;01;2016 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि `&1558.84 लाख (`&पन्द्रह करोड अटठावन लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08.01.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की 05 तारीख तक

2- आवंटन का समर्पण 15-03-2016 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2016 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- तत्संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन **"लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-09-तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-0901- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तालाबों का सुदृढीकरण एवं पुर्नरूद्वार, चेकडैमों का निर्माण तथा टयूबवेलों का पुर्नरूद्वार-24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

सं0-11/2016/248(1)/62-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
4- संबंधित जिलाधिकारी।
5- संबंधित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी(विकास)/जिला विकास अधिकारी।
6- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
11- सहायक निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
12- एन0आई0सी0 की प्रति।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in